निर्णय बईजलास श्री हरिमोहन मीना आई0ए0एस0 जिला कलक्टर,झालावाड़

मि0नं0 31/अपील/20

तारीख दायरा 11.08.2020

उनवान अपील

01.उमराव आत्मज भंवरलाल आयु 55 साल जाति नायक नि0 नलखाड़ी
02.सोजान आ0 भंवरलाल आयु 53 साल जाति नायक नि0 नलखाड़ी
03.सावित्री बाई पत्नी भग्गा आयु 60 साल जाति नायक नि0 नलखाड़ी
04.गुड्डी बाई पुत्री भग्गा आयु 30 साल जाति नायक नि0 नलखाड़ी
04.काली बाई पुत्री भग्गा आयु 28 साल जाति नायक नि0 नलखाड़ी
05.देवीलाल आत्मज भग्गा आयु 25 साल जाति नायक नि0 नलखाड़ी
06.संजू आत्मज भग्गा आयु 22 साल जाति नायक नि0 नलखाड़ी
07.बंटी आ0 भग्गा नाबालिग जर्येवली माता सावित्री जाति नायक नि0नलखाड़ी

बनाम

01.तोफान सिंह आत्मज कालू सिंह जाति सौन्धिया राजपूत
02.नारायण सिंह आत्मज कालू सिंह जाति सौन्धिया राजपूत
03.मेहरबान सिंह आत्मज कालू सिंह जाति सौन्धिया राजपूत
04.श्याम सिंह आत्मज दाणी सिंह जाति सौन्धिया राजपूत
05.गोपाल सिंह आत्मज दाणी सिंह जाति सौन्धिया राजपूत
06.भारू सिंह आत्मज दाणी सिंह जाति सौन्धिया राजपूत
07.विक्रम सिंह आत्मज दाणी सिंह जाति सौन्धिया राजपूत
निवासीगण चौहानों का खेड़ा तहसील पचपहाड़ पंचायत आकखेड़ी जिला झालावाड़

अपील बनाराजगी निर्णय तहसीलदार पचपहाड़ दिनांक 03.03.2020
मिसल न0 2/प्रार्थना पत्र/2019 प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 183 बी
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः— श्री राम महेश्वरी अभिभाषक अपीलान्ट
श्री अमितोष आचार्य अभिभाषक रेस्पो0 1,3,5,6,7 की और से

—: निर्णय :— दिनांकः 03.09.2021

यह अपील अपीलान्ट द्वारा तहसीलदार पचपहाड़ के आदेश दिनांक 03.03.2020 जो मिसल न0 2/प्रार्थना पत्र/2019 पर दिया गया से असन्तुष्ट होकर प्रस्तुत की गई है। अभिभाषक अपीलान्ट ने अपने अपील मीमों में निवेदन किया है कि अपीलार्थीगण के खाते में ग्राम नलखाड़ी तहसील पचपहाड़ जिला झालावाड़ में मुताबिक जमाबंदी सम्वत् 2072 से 2075 के अनुसार खाता संख्या 262 नया 248 पुराना में खसरा नं0 5 रकबा 1 बीघा 05 बिस्वा तथा खसरा नं0 9 रकबा 9 बीघा 10 बीस्वा कुल 2 किता की रकबा 10 बीघा 15 बिस्वा पर रेस्पो0 ने नाजायज तोर पर जबरन कब्जा कर रखा है। जिसे हटाया जाकर कब्जा अपीलार्थीगण को दिलायें जाने बाबत् प्रार्थना पत्र पेश किया । उस प्रार्थना पत्र को अधीनस्थ न्यायालय ने गलत मानते हुए धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत कार्यवाही प्रस्तावित होना बताकर इस प्रकरण की कार्यवाही समाप्त करने के आदेश दियें। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय पत्रावली पर बिना कानून सम्मत साक्ष्य लिये दिया गया है जो मनमाना परवर्स केप्रिसियस है एंव अपास्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने गलत तौर से धारा 175 आर टी एक्ट के तहत कार्यवाही प्रस्तावित होना मानकर इस प्रकरण की कार्यवाही को गलत तौर से समाप्त किया है जबकि अधिनस्थ न्यायालय को रेस्पो0 के विरूद्व अवैध कब्जे को हटाये जाने बाबत आदेश जारी किया जाना चाहिए था। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 03.03.2020 अपास्त करने का अनुरोध किया गया।

अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। रेस्पो0 1,3,5,6 व 7 की और से अभिभाषक श्री अमितोष आचार्य,श्री धमेन्द्र सिंह का वकालतनामा प्रस्तुत हुआ बहस हेतु अभिभाषक श्री अमितोष आचार्य उपस्थित हुए । रेस्पो0 2 द्वारा नोटिस लेने से इन्कार की तामील कुनिन्दा की रिपोर्ट के साथ नोटिस प्राप्त व रेस्पो0 4 बावजूद सूचना

उपस्थित नही होने पर उनका पक्ष नही सुना जा सका। अभिभाषक रेस्पो01,3,5,6 व 7 द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की जिसकी प्रति अभिभाषक अपीलान्ट को दिलवाई गई।

हमने बहस उभय पक्ष सुनी। अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा दौराने बहस अपील मेंमो की पुष्ठी करते हुए व्यक्त किया कि अपीलान्ट द्वारा तहसीलदार पचपहाड़ के समक्ष 183 बी का प्रा0पत्र प्रस्तुत किया गया था जो राज टीनेन्सी एक्ट की धारा 175 की कार्यवाही प्रस्तावित कर प्रकरण में कार्यवाही समाप्त की गई जो गलत किया गया है, अनावश्यक रूप से अपीलान्ट की आराजी पर रेस्पो0 द्वारा स्वंय अपना कब्जा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष माना जाकर उक्त कब्जा हटाने के लिये समय चाहा गया था। रेस्पो0 या उनके किसी परिजन को किसी भी तरह भूमि का विक्रय अपीलान्ट या उनके परिजनों द्वारा नही किया गया है। अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे। इस पर अभिभाषक रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस की पुष्ठी करते हुए व्यक्त किया कि रेस्पोडेन्ट का कब्जा अतिक्रमण की श्रेणी का नही है अपीलान्ट(भग्गा पिता भंवरलाल,उमराव,सोजान पिता भंवरलाल एंव माता जानी बाई) स्वंय ने दिनांक 25.05.1992 को 65000/– में रेस्पो0 के पिता को उक्त आराजी का विक्रय किया गया है, अपीलार्थी के परिवार के सदस्यों द्वारा स्वेच्छा से आराजी का कब्जा रेस्पो0 को दिया गया है। इसी क्रम में उपखण्ड अधिकारी भवानीमण्डी के समक्ष धारा 88 आर टी एक्ट का प्रकरण चला था जिसका निर्णय दिनांक 03.12.2019 को किया जाकर भूमि का अवैध हस्तान्तरण का प्रकरण माना जाकर तहसीलदार पचपहाड़ को धारा 175 आर टी एक्ट के तहत कार्यवाही प्रस्तावित करने के निर्देश दिये थे। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय उचित है। अपील खारिज की जावे।

हमने बहस उभय पक्ष पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण में संलग्न दस्तावेज से यह तो साबित है कि ग्राम नलखाडी तहसील पचपहाड़ की आराजी खसरा न0 5 रकबा 01 बीघा 05 बिस्वा व ख0न0 9 रकबा 09 बीघा 10 बिस्वा आराजी को अपीलान्ट या उनके परिजन द्वारा रेस्पो0 1 व 3 के पिता को दिनांक 25.05.1992 को 65000/– रूपये में (स्टाम्प पर) बयनामा लिखा गया था जो आर टी एक्ट की धारा 42 के प्रावधानों के विपरीत अवैध हस्तान्तरण की श्रेणी में आता है। रेस्पोडेन्ट अपंजीकृत बैचान नामा के आधार पर अपने को उक्त भूमि पर काबिज बताता है उक्त दस्तावेज प्रारम्भ से ही विधि शून्य है व इस तरह का कब्जा विधि वर्जित व कानून सम्मत नही कहा जा सकता। उक्तानुसार अधीनस्थ न्यायालय तसहीलदार पचपहाड़ द्वारा उपखण्ड अधिकारी भवानीमण्डी द्वारा प्रकरण संख्या 103/19 निर्णय दिनांक 03.12.2019 जिसमें वादग्रस्त आराजी का अवैध हस्तांतरण मानते हुए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 175 के तहत कार्यवाही प्रस्तावित करने बाबत निर्देशित किया गया है कि पालना में प्रकरण में कार्यवाही समाप्त कर धारा 175 के तहत पृथक से कार्यवाही प्रस्तावित करने का निर्णय उचित है । अपील के माध्यम से अपीलान्ट को किसी भी तरह का अनुतोष प्रदान नही किया जा सकता। हमारी राय में अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में किसी तरह के हस्तक्षेप की आवश्यकता नही है । अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रति के साथ वापस भिजवाई जावे ।

निर्णय आज दिनांकः 03.09.2021 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

03/09/2021

(हरि मोहन मीना)
जिला कलक्टर
झालावाड़

जिला कलक्टर
झालावाड़